दिनाँक	**न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर** **मुन्ना उर्फ मनवर खां व अन्य बनाम शमनूर खां व अन्य** **दीवानी वाद संख्या 98/2012 (222/2012)** **सीआईएस संख्या 122/2014**	अनुपालना टिप्पणी
02–05–2025	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 8 से 10 व 12 द्वारा दिनांक 09–11–2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. व वादी द्वारा दिनांक 05–09–2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सपठित धारा 151 सीपीसी व प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. दिनांक 15–04–2025 पर बहस सुनी जा चुकी है। जिनका इस आदेश द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 8 से 10 व 12 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. तथा प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के सम्बंध में दौराने बहस प्रार्थना पत्रों में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 8 से 10 व 12 की ओर से निवेदन किया गया कि वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बंध में पंजीबद्ध विक्रय पत्र निष्पादित किये गये है एवं दर्ज फौजदारी प्रकरण में चालान पेश किया गया है। साथ ही वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 05–12–2024 को निर्णय पारित किया गया है, जिस निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश की जा रही है। जो समस्त दस्तावेजात प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु सुसंगत है। अतः उन्हें रिकॉर्ड पर लिया जावे। जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता वादी द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया गया कि जो दस्तावेजात प्रतिवादीगण पेश करना चाहते है वे पूर्व से उनकी जानकारी में है। अत्यंत देरी से दस्तावेज पेश किये गये है तथा उक्त दस्तावेज किसी प्रकार से प्रकरण से सुसंगत नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्रों में वर्णित चारों विक्रय पत्र वर्ष 2005 में पंजीबद्ध होना दर्शित है तथा जो वादग्रस्त भूमि से सम्बंधित होना बताये गये है तथा अन्य दस्तावेजात फौजदारी कार्यवाही में प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा चालान की प्रति एवं वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में राजस्व मण्डल	

	द्वारा जारी निर्णय की प्रति आदि है। चूंकि प्रकरण अभी प्रारम्भिक अवस्था में है तथा प्रस्तुत दस्तावेजात के सम्बंध में जिरह एवं खण्डन का पर्याप्त अवसर वादी को प्राप्त होगा। दस्तावेजात प्रकरण में सुसंगत प्रतीत होते है। लेकिन साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त दस्तावेज विक्रय पत्र पूर्व से ही प्रतिवादीगण की जानकारी में थे। अतः दस्तावेज देरी से पेश किया जाना दर्शित है, लेकिन न्यायालय के मत में देरी की पूर्ति कोस्ट पर की जा सकती है। अतः दोनों प्रार्थना पत्र 1000/– रूपये की कोस्ट अधिरोपित कर स्वीकार कर दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कोस्ट की राशि लिटिगेशन वेलफेयर फण्ड में जमा करवाकर नियमानुसार रसीद प्रतिवादी न्यायालय में पेश करे। आदेश सुनाया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सपठित धारा 151 सीपीसी के सम्बंध में अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र की पुनरावृत्ति करते हुये निवेदन किया गया कि जो फौजदारी मुकदमा संख्या 8854/2014 राजस्थान राज्य बनाम भागचंद व अन्य न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग संख्या 03, अजमेर में पक्षकारान के मध्य लम्बित था, उसमें मुलजिमान को बरी कर दिया गया है, जिस निर्णय की प्रति अगस्त 2024 में प्राप्त हुई जो दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेना आवश्यक है। अतः दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिया जावे। वही दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से उक्त तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया गया कि उक्त निर्णय अंतिम नहीं है व जिसकी अपील माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अजमेर के यहां की गयी है जो वर्तमान में श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 1, अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में वादी द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 8854/2014 के निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश की गयी है। चूंकि प्रकरण अभी प्रारम्भिक अवस्था में है तथा प्रस्तुत दस्तावेज के सम्बंध में जिरह एवं खण्डन का पर्याप्त अवसर प्रतिवादीगण को प्राप्त होगा। दस्तावेज प्रकरण में सुसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में वादी द्वारा दिनांक 02–05–2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12	

	नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी लम्बित है। चूंकि प्रकरण टार्गेट लिस्ट में शामिल है अतः उभय पक्षकारान को बहस करने हेतु निर्देशित किया गया। उभय पक्षकारान ने बहस हेतु समय चाहा। आईन्दा आवश्यक रूप से बहस करे। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 15–05–2025 को पेश हो । **(नीरज गुप्ता)** **अपर जिला न्यायाधीश संख्या–3,** **अजमेर**	